भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4579

जिसका उत्तर 19.03.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना मुआवजे पर कर में छूट

†4579. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क दुर्घटना मुआवजे पर कर में छूट को सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दक्षिणी केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (एनएच -66) के विस्तार की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण परियोजना की समय-सीमा प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उचित मुआवजा सुनिश्चित करते हुए राजमार्ग कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 ("अधिनियम") मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 165 राज्य सरकार को एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों का गठन करने का अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त, धारा 168 दावा न्यायाधिकरण को मुआवजे की राशि निर्धारित करते हुए अधिनिर्णय देने का अधिकार देती है।

मुआवजे के लिए आवेदन, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की धारा 164 या धारा 166 के साथ पठित नियम 150ए और अनुलग्नक 13 के तहत दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है।

2026-27 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवार के कष्टों को कम करने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए गए व्यक्तिगत मुआवजे की राशि पर लगाए गए किसी भी ब्याज पर छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तावित है कि किसी व्यक्ति के मामले में, एमएसीटी द्वारा दिए गए ब्याज की राशि चाहे कुछ भी हो, ऐसे ब्याज के लिए स्रोत (सोर्स) पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।

इस संबंध में, वित्त विधेयक, 2026 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं और ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और उसके पश्चात् के वर्षों पर लागू होंगे।

(ख) दक्षिणी केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के विस्तार की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट अनुलग्नक-क में संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार ने देरी और लागत में वृद्धि की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के लिए भूमीराशि पोर्टल और जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करना, वन और पर्यावरण मंजूरी को तेजी से सक्षम करने के लिए "परिवेश" पोर्टल का नवीनीकरण करना, सड़क उपरि पुल/सड़क अधोगामी पुल (आरओबी/आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति को सक्षम बनाना, और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग में चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/रुकावटों की समीक्षा और समाधान के तंत्र का लाभ उठाना शामिल है। सरकार ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए परिभाषित समय-सीमा के साथ रेलवे से संबंधित मंजूरी के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और संविदाकार अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तंत्रों का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है। परियोजना की प्रगति और महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे कि तीन वर्ष से अधिक समय तक विलंबित या सौंपे जाने के लिए/नियोजन के लिए लंबित परियोजनाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

परिणामस्वरुप, 3 वर्ष से अधिक समय तक विलंबित परियोजनाओं की संख्या अप्रैल, 2024 में 152 से घटकर फरवरी, 2026 में 85 रह गई है।

अनुलग्नक-क

'सड़क दुर्घटना मुआवजे पर कर में छूट' के संबंध में श्री राजमोहन उन्नीथन के द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4579 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	वास्तविक प्रगति (%)	स्थिति
1.	एनएच **66** के अरूर से थुरवूर थेक्कु खंड तक जमीनी स्तर पर मौजूदा **4** लेन सड़क के विकास के साथ-साथ **6** लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण	**12.75**	**86**	
2.	एनएच-**66** के थुरवूर थेक्कु - परवूर खंड को **6** लेन का बनाना	**38.39**	**73**	
3.	एनएच **66** के परावूर से कोट्टुकुलंगरा खंड को **6** लेन का बनाना	**37.5**	**74**	
4.	एनएच **66** के कोट्टुकुलंगरा से कोल्लम बाईपास खंड के आरंभण को **6** लेन का बनाना	**31.5**	**75**	
5.	एनएच-**66** के कोल्लम बाईपास से कदंबट्टुकोनम के आरंभण को **6** लेन का बनाना प्राइवेट लिमिटेड	**31.25**	**90**	
6.	एनएच-**66** के कदंबट्टुकोणम से कझाकुट्टम तक को **6** लेन का बनाना	**29.83**	**47**	
7.	एनएच-**66** के तिरुवनंतपुरम बाईपास खंड में **4** ब्लैक स्पॉट / दुर्घटना बाहुल्य स्थलों का सुधार	**2.42**	**27**	चल रही
8.	एनएच-**66** पर कझाकोट्टम से मुक्कोला खंड तक को चार लेन का बनाना	**24.99**	**100**	
9.	काझाकुट्टम जंक्शन और टेक्नोपार्क जंक्शन को जोड़ने वाले पहुंच मार्गों और सर्विस रोड सहित नए **4** लेन एलिवेटेड राजमार्ग (**2x10.5** मीटर चौड़ी दोहरी दो लेन संरचनाएं) का निर्माण	**2.72**	**100**	
10.	मुक्कोला से केरल/तमिलनाडु सीमा तक तिरुवनंतपुरम बाईपास को **4** लेन का बनाना	**16.20**	**100**	पूर्ण
	कुल	**227.55** किमी		
